

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- ई-मित्र सर्विसेज के शुरू करने के संबंध में।

महोदय / महोदया

भारत में कोरोना (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में दिनांक 03.05.2020 तक लॉकडाउन किया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.04.2020 को जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या 14 के उपबिन्दु 4 "Government approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat level" के अनुक्रम में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों (ग्राम पंचायत स्तर पर) में कार्यरत ई-मित्र परियोजना के कियोस्क धारकों द्वारा ई-मित्र की सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

समस्त जिला कलक्टर से निवेदन है कि Wearing of Mask & Social Distancing की सख्ती से पालना के साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन की अक्षरत: सुनिश्चित करवाते हुए ग्राम स्तर पर ई-मित्र सर्विसेज शुरू करवाने का श्रम करावें।




(विरेन्द्र सिंह)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सू.प्रौ और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव/निजी सहायक, समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
4. श्री आर. के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, ई-मित्र, परियोजना अधिकारी, सू.प्रौ और संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक)/एसीपी(उप-निदेशक),जिला कार्यालय, सू.प्रौ और संचार विभाग(समस्त जिले), राजस्थान।
6. समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता(एलएसपी),ई-मित्र परियोजना।
7. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com



अतिरिक्त निदेशक,प्रभारी(ई-मित्र)